न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी श्रीमती नेहा छीपा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 34 / 2024

उनवान

1. उंकार पुत्र प्यारा बैरवा नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
2. कालुलाल पुत्र उंकार बैरवा नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
3. दुर्गालाल पुत्र डालु बैरवा नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
4. कैलाशी पुत्री डालु बैरवा नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
5. बगदी पत्नी स्व0 डालु बैरवा नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
6. बाली पत्नी स्व0 डालु बैरवा नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

--प्रार्थीगण

बनाम

1. मांगु उर्फ अर्जून पुत्र हेमा बैरवा नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
2. रघुनाथ पुत्र हेमा बैरवा नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
3. हीरा पुत्र छोगा बैरवा नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
4. कमली पुत्री छोगा बैरवा नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
5. बद्री पुत्र छोगा बैरवा नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
6. लादी पुत्री छोगा बैरवा नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
7. रामु पत्नी छोगा बैरवा नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
8. गोकन पुत्र नारायण बैरवा नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
9. लादुलाल पुत्र चुन्नी बैरवा नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
10. कालु पुत्र मांगू बैरवा नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
11. नन्दा पुत्र मांगू बैरवा नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
12. भंवर पुत्र मांगू बैरवा नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
13. नारू पुत्र उदा बैरवा नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
14. गणेश पुत्र उदा बैरवा नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
15. रामा पुत्र देवा बैरवा नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
16. भैरू पुत्र देवा बैरवा नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
17. शकील पुत्र गफ्फार डबगर मुसलमान नि0 पासंल तह0 भीलवाडा।
18. उदय लाल पुत्र बदरा गाडरी नि0 पांसल तह0 भीलवाडा।
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

---अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 09.05.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 18.03.2024 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम खैराबाद प.ह. खैराबाद भू.अ.नि. खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 43 की आ.न. 1256/1 रकबा 0.5817है0, आ.न. 1259 रकबा 0.5184है0, कुल किता 02 कुल रकबा 1.1001है0, भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20.03.2024 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 से 03 व 05 व 8 व 10 से 18 से बावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने [illegible] न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विपक्षी संख्या 4,6,7,9 [illegible] ल प्राप्त। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा नियम सुनवाई पर उपस्थित होकर विपक्षी संख्या 4,6,7 [illegible] विरुद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए ओदशिका [illegible] स्वीकार कर प्रा.पत्र में विपक्षी कम 4,6,7,9 का नाम डिलीट/विलोपित [illegible] ारित की जाती है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को [illegible] ा गया। प्रस्तुत बहस पर किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2025.07.01 15:34:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम खैराबाद प.ह. खैराबाद भू.अ.नि. खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 43 की आ.न. 1256/1 रकबा 0.5817है0, आ.न. 1259 रकबा 0.5184है0, कुल किता 02 कुल रकबा 1.1001है0, भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 500/—पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/—रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 09.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2025.07.01 15:34:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner